Section 13 : Place of supply of services where location of supplier or location of recipient is outside India.

(1) The provisions of this section shall apply to determine the place of supply of services where the location of the supplier of services or the location of the recipient of services is outside India.

(2) The place of supply of services except the services specified in sub-sections (3) to (*13*) shall be the location of the recipient of services:

Provided that where the location of the recipient of services is not available in the ordinary course of business, the place of supply shall be the location of the supplier of services.

(3) The place of supply of the following services shall be the location where the services are actually performed, namely:—

(a) services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of services to the supplier of services, or to a person acting on behalf of the supplier of services in order to provide the services:

Provided that when such services are provided from a remote location by way of electronic means, the place of supply shall be the location where goods are situated at the time of supply of services:

[1]**[Provided further that** nothing contained in this clause shall apply in the case of services supplied in respect of goods which are temporarily imported into India for repairs or for any other treatment or process and are exported after such repairs or treatment or process without being put to any use in India, other than that which is required for such repairs or treatment or process;**]**

(b) services supplied to an individual, represented either as the recipient of services or a person acting on behalf of the recipient, which require the physical presence of the recipient or the person acting on his behalf, with the supplier for the supply of services.

(4) The place of supply of services supplied directly in relation to an immovable property, including services supplied in this regard by experts and estate agents, supply of accommodation by a hotel, inn, guest house, club or campsite, by whatever name called, grant of rights to use immovable property, services for carrying out or co-ordination of construction work, including that of architects or interior decorators, shall

---

1 Proviso substituted by IGST (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 01/2019–Integrated Tax, dt. 29-01-2019.
Earlier to substitution it read as under:
"**Provided** further that nothing contained in this clause shall apply in the case of services supplied in respect of goods which are temporarily imported into India for repairs and are exported after repairs without being put to any other use in India, than that which is required for such repairs;

be the place where the immovable property is located or intended to be located.

(5) The place of supply of services supplied by way of admission to, or organization of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event, or a celebration, conference, fair, exhibition or similar events, and of services ancillary to such admission or organisation, shall be the place where the event is actually held.

(6) Where any services referred to in sub-section (*3*) or sub-section (*4*) or sub-section (*5*) is supplied at more than one location, including a location in the taxable territory, its place of supply shall be the location in the taxable territory.

(7) Where the services referred to in sub-section (*3*) or sub-section (*4*) or sub-section (*5*) are supplied in more than one State or Union territory, the place of supply of such services shall be taken as being in each of the respective States or Union territories and the value of such supplies specific to each State or Union territory shall be in proportion to the value for services separately collected or determined in terms of the contract or agreement entered into in this regard or, in the absence of such contract or agreement, on such other basis as may be prescribed.

(8) The place of supply of the following services shall be the location of the supplier of services, namely:—

(a) services supplied by a banking company, or a financial institution, or a non-banking financial company, to account holders;

(b) intermediary services;

(c) services consisting of hiring of means of transport, including yachts but excluding aircrafts and vessels, up to a period of one month.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the expression,—

(a) "account" means an account bearing interest to the depositor, and includes a non-resident external account and a non-resident ordinary account;

(b) "banking company" shall have the same meaning as assigned to it under clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934;

(c) ''financial institution" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*c*) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934;

(d) "non-banking financial company" means,—

(i) a financial institution which is a company;

(ii) a non-banking institution which is a company and which has as its principal business the receiving of deposits, under any scheme or arrangement or in any other manner, or lending in any manner; or

(iii) such other non-banking institution or class of such institutions, as the Reserve Bank of India may, with the previous approval of the Central Government and by notification in the Official Gazette, specify.

(9) [2][*****]

(10) The place of supply in respect of passenger transportation services shall be the place where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey.

(11) The place of supply of services provided on board a conveyance during the course of a passenger transport operation, including services intended to be wholly or substantially consumed while on board, shall be the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey.

(12) The place of supply of online information and database access or retrieval services shall be the location of the recipient of services.

Explanation—For the purposes of this sub-section, person receiving such services shall be deemed to be located in the taxable territory, if any two of the following non-contradictory conditions are satisfied, namely:—

(a) the location of address presented by the recipient of services through internet is in the taxable territory;

(b) the credit card or debit card or store value card or charge card or smart card or any other card by which the recipient of services settles payment has been issued in the taxable territory;

(c) the billing address of the recipient of services is in the taxable territory;

(d) the internet protocol address of the device used by the recipient of services is in the taxable territory;

(e) the bank of the recipient of services in which the account used for payment is maintained is in the taxable territory;

(f) the country code of the subscriber identity module card used by the recipient of services is of taxable territory;

(g) the location of the fixed land line through which the service is received by the recipient is in the taxable territory.

(13) In order to prevent double taxation or non-taxation of the supply of a service, or for the uniform application of rules, the Government shall have the power to notify any description of services or circumstances in which the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of a service.

---

2 Sub-section 9 omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to omission it read as under:

"**(9)** The place of supply of services of transportation of goods, other than by way of mail or courier, shall be the place of destination of such goods."

धारा 13 : सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार का अवस्थान या प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है

(1) इस धारा के उपबन्ध सेवाओं की पूर्ति का स्थान अवधारित करने के लिए वहां लागू होंगे, जहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान भारत से बाहर है।

(2) उपधारा (3) से उपधारा (13) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा :

परन्तु जहां सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान कारबार के सामान्य अनुक्रम में उपलब्ध नहीं है, वहां पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान होगा।

(3) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात् :

(क) ऐसे माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाएं, जिनमें सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए, सेवाओं के पूर्तिकार या सेवाओं के पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के पास वस्तुतः उपलब्ध होना अपेक्षित हैः

परन्तु जब ऐसी सेवाएं इलेक्ट्रानिक साधनों के रूप में दूरस्थ अवस्थान से प्रदान की जाती है, तब पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां माल सेवा की पूर्ति के समय स्थित है :

[1]**[परन्तु यह और** कि इस खंड अंतर्विष्ट कोई बात माल की बाबत् पूर्ति की गई सेवाओं की दशा में लागू नहीं होंगी जो भारत में मरम्मत के लिए या किसी अन्य उपचार या प्रक्रिया के लिए स्थायी रूप से आयात की गई है और ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के पश्चात्, जो ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के लिए, अपेक्षित हैं, उससे भिन्न, भारत में किसी उपयोग में लाए बिना ऐसी मरम्मत, उपचार या प्रक्रिया के लिए निर्यात कर दी जाती है;**]**

(ख) किसी व्यक्ति को पूर्ति की गई सेवाएं, जो या तो सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में या प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सेवाओं की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता के साथ प्राप्तिकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति की वस्तुतः उपस्थिती अपेक्षित है।

(4) किसी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में पूर्ति, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों और संपदा अभिकर्ताओं द्वारा इस संबंध में पूर्ति की गई सेवाएं भी है, किसी होटल, सराय, अतिथि–गृह, क्लब या शिविर स्थल, जिस भी नाम से ज्ञात हो, में वास–सुविधा की पूर्ति, स्थावर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को प्रदान किए जाने का, सन्निर्माण कार्य, जिसके अन्तर्गत वास्तुविद या आंतरिक सज्जाकार भी है, को कार्यान्वित करने या उसका समन्वय करने के लिए सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में, प्रत्यक्षतः पूर्ति की गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां स्थावर सम्पत्ति अवस्थित है या अवस्थित होनी आशयित है।

(5) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह या अनुष्ठान या सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी या उसी प्रकार के समारोह में प्रवेश के रूप में पूर्ति की गई

---

1 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा परन्तुक प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**परन्तु** यह और कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात माल की बाबत पूर्ति की गई ऐसी सेवाओं की दशा में लागू नहीं होगी, जो भारत में मरम्मत के लिए अस्थायी रूप से आयात की गई हैं और ऐसी मरम्मत के लिए जो अपेक्षित है; उससे भिन्न भारत में किसी अन्य उपयोग में लिए बिना मरम्मत के पश्चात् निर्यात कर दी जाती हैं;

सेवाओं और ऐसे प्रवेश या संगठन की सहायक सेवाओं की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां वास्तविक रूप में समारोह आयोजित किया जाता है।

(6) जहां उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट किन्हीं सेवाओं की पूर्ति एक से अधिक अवस्थानों पर की जाती है, जिसके अन्तर्गत कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थान भी है, उनकी पूर्ति का स्थान, कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थान होगा।

(7) जहां उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में की जाती है, वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति के स्थान को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र होने के रूप में लिया जाएगा और प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी विनिर्दिष्ट पूर्ति का मूल्य इस बाबत् की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में, या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, लिया जाएगा।

(8) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान होगा, अर्थात् :

(क) किसी बैंककारी कम्पनी या किसी वित्तीय संस्था या किसी गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनी द्वारा खाता धारकों को पूर्ति की गई सेवाएं;

(ख) मध्यवर्तीय सेवाएं;

(ग) ऐसी सेवाएं, जिसमें परिवहन के साधनों को एक मास की अवधि तक के लिए किराए पर लेना सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत नौका भी हैं, किन्तु जिसके अन्तर्गत वायुयान और जलयान नहीं है।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ''खाता'' पद से जमाकर्ता को ब्याज देने वाला कोई खाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अनिवासी विदेशी खाता और कई अनिवासी साधारण खाता भी है;

(ख) ''बैंककारी कंपनी'' पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क और खंड (क) में है;

(ग) ''वित्तीय संस्था'' पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ के खंड (ग) में है;

(घ) ''गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनी'' पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) कोई वित्तीय संस्था, जो कोई कम्पनी है;

(ii) कोई गैर–बैंककारी संस्था, जो कोई कम्पनी है और जिसका मुख्य कारबार, किसी स्कीम या ठहराव या किसी अन्य रीति के अधीन निक्षेप प्राप्त करना या किसी रीति में उधार देना है; या

(iii) ऐसी अन्य गैर बैंककारी संस्था या ऐसी संस्थाओं का वर्ग, जो भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(9) [2]**[……]**

---

2 वित्त अधिनियम, 2023 के द्वारा उपधारा (9) विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

''**(9)** मेल या कुरिअर के रूप में माल के परिवहन से भिन्न माल के परिवहन की सेवाओं की पूर्ति का स्थान ऐसे माल का गंतत्व स्थान होगा।''

(10) यात्री परिवहन सेवाओं की बाबत् पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है।

(11) किसी यात्री परिवहन प्रचालन के प्रक्रम के दौरान वाहन के फलक पर प्रदान की गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अन्तर्गत फलक पर रहते हुए पूर्णतः या सारतः उपभोग किए जाने के लिए आशयित सेवाएं भी हैं, यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान का प्रथम अनुसूचित बिन्दु होगा।

(12) आनलाईन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित होना समझा जाएगा यदि निम्नलिखित में से कोई दो गैर–विरोधात्मक शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :

(क) इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पते का अवस्थान कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(ख) क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या स्टोर वेल्यू कार्ड या चार्ज कार्ड या स्मार्ट कार्ड या कोई अन्य कार्ड, जिसके द्वारा सेवाओं का प्राप्तिकर्ता संदाय का परिनिर्धारण करता है, कराधेय राज्यक्षेत्र में जारी किया गया है;

(ग) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का बिलिंग पता कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(घ) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रयोग किए गए यंत्र का इंटरनेट प्राटोकाल पता कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(ड.) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का बैंक, जिसमें वह संदाय के लिए प्रयोग किया गया खाता रखता है, कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(च) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रयोग किया सब्सक्राइबर आईडेंटिटी माड्यूल कार्ड का कंट्री कोड कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(छ) उस स्थिर लैंड लाइन का अवस्थान, जिसके माध्यम से प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवा प्राप्त की जाती है, कराधेय राज्यक्षेत्र में है।

(13) किसी सेवा की पूर्ति के दोहरे कराधान या गैर–कराधान के निवारण के लिए या नियमों के एकरूपता से लागू होने के लिए सरकार को सेवाओं के किसी प्रकार को या परिस्थितियों को अधिसूचित करने की शक्ति होगी, जिसमें पूर्ति का स्थान सेवा की प्रभावी उपयोग और सेवा के उपभोग का स्थान होगा।